महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
प्रवेश नियमावली (परिसर एवं महाविद्यालयों के लिए)
शैक्षणिक सत्र 2025–26

खण्ड 'क'

1. (क) विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों की सभी कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश समर्थ पोर्टल/राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय केंद्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे।
   (ख) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रभावी विषय संयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP–2020) एवं उक्त के क्रियान्यन हेतु शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुरूप ही होंगी एवं स्नातक प्रथम वर्ष में समस्त प्रवेश उक्त के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे। परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में भी समस्त प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे।
2. *यदि प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि समाप्त होने के पश्चात भी कुछ छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल किन्हीं कारणों से घोषित नहीं हो पाता है तो तत्समय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में ऐसे छात्र/छात्राओं को अस्थाई–प्रवेश, स्पाट रजिस्ट्रेशन/काउन्सलिंग के माध्यम से उन महाविद्यालयों में, जहॉ सीटे रिक्त हो, किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रक्रिया समस्त छात्रों को चाहे वह किसी भी विश्वविद्यालय के हो के लिये अनुमन्य होगी। स्पाट रजिस्ट्रेशन/काउन्सलिंग की समाप्ति पर छात्र/छात्राओं को प्रत्येक दशा में 04 सप्ताह के भीतर अपना परीक्षाफल महाविद्यालय में जमा कराना होगा। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं से एक शपथ–पत्र/वचन–पत्र (Affidavit/Undertaking) भी जमा कराया जाएगा कि प्रदान किया गया प्रोवीजनल प्रवेश पूरी तरह से उनके परीक्षाफल पर निर्भर होगा एवं छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश के समय जमा किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।*
3. *अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय अपने विश्वविद्यालय से माईग्रेशन प्राप्त कर जमा कराने हेतु 04 सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा, तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा छात्रों के माईग्रेशन की पठनीय प्रति छात्रों के प्रवेश पंजीकरण फार्म के साथ डिजीटल फार्म में अपलोड कराते हुए उसकी मूल प्रति आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को प्राप्त कराई जाएगी। अपलोड की गई माईग्रेशन की डिजीटल प्रति के आधार पर छात्रों को नामांकन आवंटित किया जाना उचित होगा परन्तु महाविद्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि माइग्रेशन की मूल प्रति को विश्वविद्यालय में एक सप्ताह के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगें अन्यथा की स्थिति में छात्र का नामांकन स्थगित रखा जाएगा।*
4. *ऐसे महाविद्यालय, जिनके पास छात्रों के प्रवेश पंजीकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वे नियमानुसार विश्वसनीय कैफे संचालकों को empanel कर महाविद्यालय परिसर में स्थान प्रदान करते हुए प्रवेश पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के पंजीकरण फॉर्म पर उनका व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी ही अंकित हो, ताकि छात्रों को समय–समय पर आवश्यक सूचनाएँ प्रदान की जा सकें। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भरे हुए प्रवेश पंजीकरण फॉर्मों की जाँच और उनमें त्रुटियों को दूर करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय इन फॉर्मों की आवश्यक जाँच कर उन्हें प्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय को अग्रसारित करेगा। तत्पश्चात, किसी भी त्रुटि के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार होगा*
5. डिग्री पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अहर्ता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी जैसा कि उल्लेख है।
6. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जाएगी जब यह पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो । जिन पाठ्यक्रमों में बैक पेपर परीक्षा/पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमे अगली कक्षा में प्रवेश सम्बंधित अध्यादेश के अनुसार होगा।

(ख) 3 (क) के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।

(ग) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।

4. (क) परीक्षार्थी को बी.ए.,बी.एससी.,बी कॉम(सेमेस्टर सिस्टम) बी.बी.ए., बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में एम.ए.,एम.एससी./एल.एल.एम./एम.बी.ए. पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में बी.एससी. (कृषि) एवं बी.टेक.,बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा अधिकतम 08 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में भी पाठ्यक्रम की अवधि का अधिकतम दो गुने वर्षों में पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी जिस सत्र मे विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो। यह नियम व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगा ।

(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक ये परीक्षा से वंचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी ।

6. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रदेश की अनुमति नहीं होगी।

जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा उक्त पाठ्यक्रम के अध्यादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न होगी।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रदिनांक 30.09.2022 जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है यथा कोई भी छात्र एक साथ दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक पाठ्यक्रम नियमित प्रकृति का होगा एवं दूसरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन/व्यक्तिगत मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा।

8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

(ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यकम को पूर्ण किये बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् मात्र बी.एड./बी.पी.एड. में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में अभ्यर्थी का नामांकन विश्वविद्यालय में निष्क्रिय रहेगा।

9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिये अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा–

(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड आफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।

(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, एम.बी.ए., विधि एवं अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब–ए–माहिर/अदीब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

    (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

    (ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु यह संस्थागत छात्र नहीं माना जायेगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

11. शासनादेश सं0 07/2016/720/15–7–2016 शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माना गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है।

12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। परन्तु जो पाठ्यक्रम BCI/AICTE/NCTE/PCI/MCI आदि के दिशा निर्देशों के अर्न्तगत संचालित किये जाते है उन पाठयक्रमों हेतु उक्त वर्णित संस्थाओं में रेग्यूलेटरी बाडी के द्वारा प्रदत्त नियम मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।

13. बी.एड./एम.एड./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक/बी.पी.एड./बी.एल.एड.व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों से होंगें, जब तक कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रक्रिया या नियम निर्धारित न करें।

14. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक यह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।

15. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उक्त छात्र को नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यदि इच्छुक हो, तो प्रवेश लेने की अनुमति होगी।

17. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता–प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण पत्र सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागूहोगा।

18 एम.एससी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगें–

    (क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

    (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी. एससी, और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो),

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिये 40 प्रतिशत होगा।

(ग) छात्र एम.एससी./एम.ए. में प्रवेश के लिये उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम वर्ष में एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) (i) एल.एल.बी. त्रिवर्षीय, एलएल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिये। बार काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा प्राविधानित नियम III Rules of Legal Education' के त्रिवर्षीय पाठयक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। अतः सामान्य जाति हेतु 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रहेगी।

(ii) प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(iii) बार काउन्सिल आफ इण्डिया (बी.सी.आई) द्वारा जारी चैप्टर–11 Standard of Professional Legal Education Rule 10' का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(च) एल.एल.बी. पाठ्यकम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(छ) मास्टर आफ लॉ (एल.एल.एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये वे विद्यार्थी अर्ह होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, की एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय)/एल.एल.बी. (पंचवर्षीय) डिग्री प्राप्त की हो। एलएल.एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

19. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने बाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गयाहै अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ड़) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डा गर्दी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

20 (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड और एम.एड के विद्यार्थियों पर लागू होगे।

(ख) बी.एससी. कृषि के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट जीव विज्ञान (बायो ग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 अंक घटाकर किया जायेगा। स्पष्टीकरण गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत विद्यार्थियों पर भी लागू होगी।

21. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी. काम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5 अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में न लेकर सहायक/गौण विषय के रूप में लिया है, को एम. काम, प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एससी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा।

22. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य है। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.कॉम और एम.ए, अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एससी. गणित और कम्प्यूटर साइंस में भी प्रवेश के लिये अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है. प्रवेश के लिए नॉन स्ट्रीम श्रेणी के अन्तर्गत अर्ह होंगे।

23. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये पात्र नहीं होंगे।

24. जिन विद्यार्थियों ने जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होंगे।

25. जिन अभ्यर्थियों ने यूपी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

26. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इंटर के समकक्ष मानते हुये स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।

27. जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उतीर्ण की है. ये कमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अर्ह होंगे।

    स्पष्टीकरण–सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं आचार्य संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी. एड. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।

28. बाहय विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिये नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपनी ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।

29. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक यह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग अस्थायी/अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।

30. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अर्थात जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र तब तक नही होगा जब तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रक्रिया को अनुमत न किया गया हो।

    एलएल.बी. एवं एम.एड. पाठ्यक्रमों में राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय कैम्पस में प्रवेश, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराये जायेंगें। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑन–लाईन पंजीकरण के माध्यम से, मेरिट के आधार पर अनुमन्य कराये जायेंगें।

31. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आवश्यकतानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रणाली से करायी जायेगी इसकी अधिसूचना (Notification) पृथक से जारी की जायेगी।

32. प्रवेश समिति दिनांक 05.03.2002 के बिन्दु संख्या (1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत् है, ***''सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यकमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं। उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी।''***

33. AIU से मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं बी.टेक., एवं बी. फार्मा उत्तीर्ण छात्र एलएल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं।

34. विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएच. डी. के छात्र जो किसी कारण से एक कोर्स वर्क में शामिल नहींहो सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गये उन्हें अगले कोर्स वर्क में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा।

35. बी.काम, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वही नियम लागू होंगे जो कि सामान्य बी.काम. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित है।

36. उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश सं0 2418/सत्तर–3–2023–09(01)/2022(स्व) दिनांक 13 सितम्बर 2023 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) के अनुरूप शासन द्वारा तैयार Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) की नीति को विश्वविद्यालय द्वारा कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 पाठ्यक्रमों में सत्र 2024–25 से लागू कर दिया गया है।

त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे। चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को उपाधि प्रदान की जाएगी।

यदि छात्र द्वितीय/तृतीय वर्ष/वर्षो में विषय परिवर्तित किया जाता है तो छात्र को तीन वर्ष में जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 क्रेडिट प्राप्त होगे, उसी संकाय में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।

यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है. तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वविद्यालय माइनर पेपर / स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत किया जाएगा। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोसों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये प्रथम दो वर्षो में अधिकतम 6 X 2 = 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये प्रथम तीन सेमेस्टर में अधिकतम 3 X 3 = 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष Credit Transfer Policy 2024 तैयारी की गई एवं उक्त के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्रांक 2124/सत्तर–3–2024–08(19)/2022(L1) दिनांक 02 सिम्बर 2024 द्वारा जारी Online Course Mapping and Credit Transfer Policy को आत्मसात करते हुए सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय में प्रभावी कर दिया गया है।

यह नीति एम. जे. पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स के ट्रांसफर को नियंत्रित करेगी, चाहे वे विश्वविद्यालय में नामांकित रहते हुए अन्य शैक्षिक संस्थानों में (आउटवर्ड ट्रांसफर) ट्रांसफर करें या अन्य संस्थानों में अर्जित क्रेडिट्स को इस विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करें (इनवर्ड ट्रांसफर)। क्रेडिट ट्रांसफर निम्नलिखित परिस्थितियों में अपेक्षित है:–

1. *पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व विश्वविद्यालय से छात्रों का निकास।*
2. *विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों की लैटरल एंट्री।*
3. *विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा माइनर पेपर/स्किल कोर्स UGC SWAYAM/NPTEL/ MOOCs या अन्य स्वीकृत प्लेटफार्म्स के माध्यम से अर्जित क्रेडिट।*
4. *विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत स्टैंड–अलोन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अर्जित करना।*
5. *विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ स्वीकृत एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भाग लेना।*

खण्ड-ख

विशेष निर्देश

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्ताकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)

2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 संख्या 1191/सत्तर–2–2010–3 (58)/79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोडकर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों / संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/ संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षेतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा–

(I) लम्बवत आरक्षण :–

पिछडा वर्ग	:	समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	:	समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	:	समस्त सीटों का 02 प्रतिशत

(II) क्षैतिज आरक्षण :–

क स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
ग शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
घ महिलाओं के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

(iii) आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये। अन्य पिछडा वर्ग (दवदबतमंउल संलमत) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

(iv) शासनादेश संख्या 192/सत्तर–7–2019–बी.एड. (00)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी. दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होगी एवं 'EWS श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेंगी एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लामप्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) शासनादेश संख्या 4004/15–11–88–31581/79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।

7. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता–पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अथवा अन्य कोई समुचित कारण जिससे कुलपति संतुष्ट हो, के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।
8. प्रवेश के लिये ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यतासूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।

9. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
10. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय की सूची सलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते है। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।
11. प्रवेश हेतु तैयार की गयी मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे–

अ	(1)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये भारांक	10 अंक
	(2)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
ब		विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
स	(1)	एन.सी.सी. के 'सी' प्रमाण पत्र अथवा 'जी' प्रमाण पत्र	10 अंक
	(2)	'बी' और 'जी–1' प्रमाण पत्र के लिये	05 अंक
द	(1)	एन.एस.एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(2)	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक
य	(1)	12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाईड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	(2)	प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(3)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(4)	रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट– किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी अर्थात भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होगे।

12. स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाडी के प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण–बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन सी टी ई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व. एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्टस कोटा मान्य नहीं होगा।

परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अंतिम वर्ष में जो विषय चुने गये हो। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोडकर) को सम्मिलित करते हुये योग्यता सूची तैयार की जायेगी

13. प्रत्येक वर्ग/विषय से इंटरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण करने वाले छात्रो को वाणिज्य संकाय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश स्वीकृत किये जायेंगे।
14. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिये बिना कारण बताये प्रवेश के लिये मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसके निरस्त कर सकते हैं।
15. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिये अर्ह नहीं होंगे।
16. एम.ए कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन स्ट्रीम के लिये आरक्षित होंगी। नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन स्ट्रीम के

अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक के छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात् बी.ए. उत्तीर्ण छात्र नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत नहीं आयेगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो यह अमुक विषय के लिये स्ट्रीम नॉन स्ट्रीम दोनों में मान्य नहीं होगा।

17. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो यह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
18. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिये जायें।
19. *स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है। स्थानान्तरण के लिय छात्र कारणों का उल्लेख करते हुये दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। छात्रहित में समस्त महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रवेश स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र, जिसमें छात्र द्वारा स्थानान्तरण हेतु समुचित कारण का उल्लेख किया गया होगा, पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेंगें। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा उक्त आवेदन के 15 दिनों के पश्चात भी प्रवेश स्थानान्तरण हेतु लिखित अनापत्ति प्रदान नहीं की जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि महाविद्यालय को छात्र/छात्रा के किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश स्थानान्तरण दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है अथवा महाविद्यालय को अनापत्ति प्रदान न करने का समुचित कारण स्पष्ट करना होगा एवं विश्वविद्यालय इसकी समीक्षा करेगा एवं छात्रहित में उचित निर्णय लेगा, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना समस्त के लिये बाध्यकारी होगा। छात्र द्वारा प्रवेश के समय ही समस्त अभलेख महाविद्यालयों में जमा किये जाते है। अतः स्थानान्तरण के समय छात्र को कोई भी प्रमाण–पत्र पुनः नवीन महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं करायेगा। सम्बधित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु संख्या 04 की शर्ते पूरी हो रही हो।*

स्पष्टीकरण–यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 04 की शर्ते उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होंगी।

20. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
21. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु कमश इंटरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
22. महाविद्यालयों में चल रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
23. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और यह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है। तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि वह तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है। तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
24. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त संख्या 04 पर लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू.पी.आर.टी.ओ.यू.), इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए.आई.यू.यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी.पी.पी. के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।

25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ–5–1/2008 (सीपीपी–11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी–NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एन.आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है। इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)
26. प्रवेश नियमावली में जहाँ–जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिये निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य है तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगे।
27. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए. आई. यू से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य स्थापित समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अर्ह माना जाये।

खण्ड– 'ग'

विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम–

1) BBA– प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
2) BCA- इंटरमीडिएट की परीक्षा में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों हेतु न्यूनतम 50% एवं एससी/एसटी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। ऐसे छात्र जिनके पास 12 वीं कक्षा में गणित एक विषय के रूप में नहीं है, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में आवश्यक रूप से एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम (Elective Course) के रूप में गणित (BCA-401E) के लिए नामांकन कर उत्तीर्ण करना होगा।
3) B.Sc. Home Science प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
4) B.Sc. Bio Tech– प्रदेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
5) B.Sc- Microbiology- पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने केसमय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रदेश के लिये अर्ह होगा।
6) B.Sc- (Compupter Science)- पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी। प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कंटेगरी के छात्रओके 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।
7) M.S.W– स्नातक/परास्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
8) Advanced PGDCA–स्नातक में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा। पाठ्यक्रम अधिकतम 2 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य है। समय की गणना प्रवेश लेने के समय से की जायेगी।
9) MCA - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
10) B-Tech - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
11) MBA - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
12) BHM&CT - AICTE द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।
13) B- Pharm - PCI द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

14) M-Pharm- PCI द्वारा निर्धारित नियम लागू होंगे।

15) Diploma in Design Commercial, Diplomain Comp- Application, Diploma in Yoga, Diploma in E-Commerce, Diploma in Env- Management, Diploma in Photography, Diploma in Fashion Design, PG Diploma in Office Management, PG Diploma in Modem Arabic, PG Diploma in Tourism&Travel Mgmt, PG Diploma in Bio Tech, Diploma in Interior Design दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।

16) B.Lib.– दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। स्नातक/स्नातकोत्तर में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अहं होगा।

17) M-Lib.– दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश मान्य नहीं है। B-Lib. स्नातक/M-Lib. स्नातकोत्तर में सामान्य एवं ओ.बी.सी. कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।